

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 101/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गनसा मुन्डा

- विक्रेता

किरन कच्छप

- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

30.05.20

आदेश

आवेदक गनसा मुन्डा पिता स्व० लोहरा मुन्डा ग्राम-कटमकुकु, टोला महुआटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने किरन कच्छप पति महावीर कच्छप ग्राम-डुमरगड़ी, पोस्ट-विरदा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
कटमकुकु	158	03	87	0.25

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा इस वाद को रोकने हेतु आवेदन दिये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।